7/15

आज दिनांक 11/07/15 को प्रतिवादी सरूप भूरजी पिता रावजी पारगी निवासी रालवडा द्वारा उपस्थित हो इस आशय का कथन किया कि वादीगण एवं उनके मध्य एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. टी. एक्ट के तहत विचाराधीन है जिसमें यदि आपसी सहमति से हमारे खातेदार का बंटवारा कर दिया जावें, तो प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है अतः बंटवारे की प्रा. डिक्री प्रतिवादी की सहमति के आधार पर जारी करने का आदेश किया जाता है।

सुरजी

प्रतिवादी की तस्दीक पटवारी रालडिया द्वारा की गई

मन्ती

पटवारी रालडीया